न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

अपील संख्या 81/2020 जिला–दौसा।

1. श्रीनारायण पुत्र रामनाथ
2. रघुनन्दन पुत्र भींवारात
3. रामनारायण पुत्र पूनीराम
4. गणपत दत्तक पुत्र जीवनराम
5. चिरंजीलाल पुत्र मूलचन्द
   समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा, राजस्थान।

अपीलान्टस्

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा।
2. जिला कलक्टर दौसा।
3. राजकीय प्राथमिक विधालय संत रेदास कॉलोनी भाण्डारेज तह0 दौसा जिला दौसा।
4. ग्राम पंचायत भाण्डारेज जरिये सरंपच।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर दौसा दिनांक 14.08.2012 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट एड. श्री योगेश जाखड।
2. राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक–28.09.2021

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 14.08.2012 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 19.10.2012 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर दौसा द्वारा निर्णय दिनांक 14.08.2012 के द्वारा ग्राम भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2784 रकबा 0.87 है0 में से 0.20 है0 भूमि का राजकीय प्राथमिक विधालय सन्त रैदास कॉलोनी भाण्डारेज पं.स. दौसा के स्कूल भवन निर्माणार्थ एवं खेल मैदान हेतु आंवटन किया गया।
3. न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.08.2012 से व्यथित होकर अपीलान्टस् द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.08.2012 को निरस्त फरमाये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट् की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्टस् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम भाण्डारेज तह0 दौसा की आबादी में स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 2784 रकबा 0.87 है में से 0.20 है0 भूमि जो कि प्रारम्भ से ही आबादी के रूप में उपयोग उपभोग में ली जा रही है। उक्त भूमि में से वर्ष 1988 में रेस्पोडेंट संख्या 4 ग्राम पंचायत भाण्डारेज द्वारा उक्त भूमि पर 45 दुकानो की निलामी कर विक्रय कर दिया था । अपीलांट को भी उक्त भूमि में पट्टे प्रदान कर मौके पर कब्जा संभला दिया गया तब से अपीलांट उक्त भूमि पर काबिज होकर लाभांवित होते चले आ रहे हैं किन्तु इसके बावजूद भी वर्तमान ग्राम पंचायत के कोरम में इस तथ्य की अनदेखी करते हुये प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 12.5.2012 पारित कर अनापत्ति प्रदान की है जो प्रथम दृष्टया

28/9/2021
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त अनापत्ति के आधार पर एवं रेस्पोडेंट संख्या 4 के अनुरोध पर बिना मौके की वास्तविक तथ्यो की जानकारी लिये उक्त भूमि खसरा नम्बर 2787 रकबा 0.87 है में से 0.20 है भूमि को राजकीय प्राथमिक विधालय संत रैदास कॉलोनी भाण्डारेज पंचायत समिति दौसा के स्कूल भवन निर्माणार्थ एवं खेल के मैदान हैतु (जरिये प्राधानाध्यापक) पुनः आवंटन कर दिया गया। ग्राम पंचायत भाण्डारेज द्वारा सन 1988 में जो विक्रय शुलक लेकर पट्टे प्रदान किये गये है व आवंटन किया गया है उसे आज दिन तक किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त नही किया गया है। जब एक बार किसी भूमि का आवंटन कर पटटे जारी कर दिये जाते है जो उसी भूमि का पुनः आवंटन किसी भी कानून के तहत नही किया जा सकता है। उक्त भूमि का पटटा ग्राम पंचायत भाण्डारेज द्वारा अपीलांट के पक्ष में होने के पश्चात से ही अपीलांट का उक्त भूमि पर बहैसियत स्वामी कब्जा है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना व बिना मौका रिपोर्ट लिये विधि वियिद्ध तरीमके से रेस्पोडेंट संख्या 3 के हक में उक्त आराजी पुनः आवंटन करने में कानूनी भूल की है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट् स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.08.2012 को निरस्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलांट् ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.08.2012 का है लेकिन अपीलांट् को जानकारी का अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 17.10.2012 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी दौसा एवं तहसीलदार दौसा द्वारा ग्राम भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दैासा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2787 रकबा 0.87 है0 में से 0.20 है0 भूमि राजकीय प्राथमिक विधालय संत रैदास कॉलोनी भाण्डारेज पंचायत समिति दौसा को आवंटन करने बाबत आवंटन प्रस्ताव, रिपोर्ट पटवारी हल्का भाण्डारेज, नजरी नक्शा, मौका रिपोर्ट, जमाबन्दी की प्रति एवं ग्राम पंचायत भाण्डारेज का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर जिला कलक्टर दौसा को भिजवाये जाने पर जिला कलक्टर दौसां ने विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.08.2012 पारित कर ग्राम भाण्डारेज में स्थित खसरा नम्बर 2787 रकबा 0.87 है में से 0.20 है भूमि को राजकीय प्राथमिक विधालय संत रैदास कॉलोनी भाण्डारेज पंचायत समिति दौसा के स्कूल भवन निर्माणार्थ एवं खेल के मैदान हैतु (जरिये प्राधानाध्यापक) राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलो, कॉलेजो, चिकित्सालयो, धर्मशालाओ एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के तहत आवंटित की गई थी। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार के प्रस्ताव एवं ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होंने से खारिज की जावे ।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट् के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट् द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रधानाध्याक, राजकीय प्राथमिक विधालय संत रैदास कौलोनी भाण्डारेज पं.स. दौसा के अनुरोध पर तहसीलदार दौसा के पत्रांक 6241 दिनांक 26.7.2012 एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा के पत्रांक 333 दिनांक 1.8.2012 के द्वारा ग्राम पंचायत भाण्डारेज की अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ ग्राम भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दैासा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2787 रकबा 0.87 है0 में से 0.20 है0 भूमि को राजकीय प्राथमिक विधालय संत रैदास कॉलोनी भाण्डारेज पंचायत समिति दौसा के भवन निर्माणार्थ आवंटन करने बाबत जिला कलक्टर दौसा को भिजवाया गया था जिस पर जिला कलक्टर दौसा ने विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.08.2012 पारित कर ग्राम भाण्डारेज में स्थित खसरां नम्बर 2787 रकबा 0.87 है में से 0.20 है भूमि को राजकीय प्राथमिक विधालय संत रैदास कॉलोनी भाण्डारेज पंचायत समिति दौसा के स्कूल भवन निर्माणार्थ एवं खेल के मैदान हेतु (जरिये प्राधानाध्यापक) राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलो, कॉलेजो, चिकित्सालयो, धर्मशालाओ एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के तहत आवंटित की गई है।

8. हम समझते है कि उपखण्ड अधिकारी दौसा एवं तहसीलदार दौसा के द्वारा ग्राम भाण्डारेज में स्थित खसरा नम्बर 2787 रकबा 0.87 है में से 0.20 है भूमि को राजकीय प्राथमिक विधालय संत रैदास कॉलोनी भाण्डारेज पंचायत समिति दौसा के स्कूल भवन निर्माणार्थ आवंटन प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील सारहीन होने से खारीज किये जाने योग्य है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टस् खारीज की जाती है तथा अंधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.08.2012 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

28/9/2021

(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 28.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/9/2021

(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner